

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/424/2024

दिनांक- 28/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 424 / 2024 अनवान गीता पुत्री रतना चमार निवासी सरसिया( चारनान), मांगी पत्नी रतना चमार निवासी सरसिया( चारनान), बनाम सवाईराम पिता जगरूप बैरवा ग्राम जगन्नाथपुरा, भोलु पिता जगरूप बैरवा ग्राम जगन्नाथपुरा, छगना पिता जगरूप बैरवा ग्राम जगन्नाथपुरा, सूखा पिता छोगा बैरवा ग्राम जगन्नाथपुरा, मोहन सिंह पिता इंगर सिंह राजपूत निवासी सरसिया( चारनान), रामराय पिता रामनिवास बहेड़िया निवासी सरसिया( चारनान), रामस्वरूप पिता मथुरा बहेड़िया निवासी सरसिया( चारनान), उदा पिता हजारी बैरवा निवासी सरसिया( चारनान), तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम सरसिया( चारनान) प.ह. भरणीकला आराजी सं. 506/1, 548/1, कुल किता 02 रकबा 0.5940 हेक्टेयर व ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 193/2, 194/2, 194/3, 195/2, 196/2 कुल किता 05 रकबा 2.2986 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मौला पुत्री रत्ना चमार निवासी सरसिया( चारनान) बरौह  
बनाम

सवाईराम पिता जगन्नाथ वैराव ग्राम जगन्नाथपुरा बरौह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 924/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

28-05-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाट जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण टर्न रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सरसिया( चारनान) प.ह. भरणीकला आराजी सं. 506/1, 548/1, कुल किता 02 रकबा 0.5940 हेक्टेयर व ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 193/2, 194/2, 194/3, 195/2, 196/2 कुल किता 05 रकबा 2.2986 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईट में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है। ग्राम सरसिया( चारनान) प.ह. भरणीकला आराजी सं. 506/1, 548/1, कुल किता 02 रकबा 0.5940 हेक्टेयर व ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 193/2, 194/2, 194/3, 195/2, 196/2 कुल किता 05 रकबा 2.2986 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)